

क्रमांक 3317002 / छ.ग. / 2018 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिंहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक / 07 / 2018

प्रति,

मुख्य अभियंता,

1. महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर

विषय :- निलंबन से बहाल उपरांत सहायक अभियंता (सिविल) को पदस्थापना शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 03-05 / 31 / स्था. / 2018 दिनांक 22.06.2018.

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया संबंधित सहायक अभियंता (सिविल) को निलंबन से बहाल उपरांत पदस्थापना शासनादेश की प्रति सौंपकर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर
दिनांक 03 / 08 / 2018

पृष्ठांकन क्रमांक 3317002 / छ.ग. / 2018 / 13145-

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल, रामपुर / कोरबा।
3. अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर।
4. कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर।
5. संबंधित श्री द्वारा स.क्र.
6. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मास्टर नस्थी।

की ओर शासनादेश की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र. 02 से 07 हेतु)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

Part II (127)

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 22/06/2018

क्रमांक एफ 03-05/31/स्था./2018 :: विभाग के जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 07.04.2018 द्वारा श्री एस.एल.यादव, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर को मान.उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर रिट पिटीशन क्र. 849/2018 एवं अवमानना प्रकरण क्र. 64/2018 में पारित आदेशों के पालन हेतु सम्यक कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण निलंबित किया गया है।

2/ राज्य शासन एतद्वारा प्रकरण में विचारोपरांत, श्री एस.एल.यादव, निलंबित प्रभारी कार्यपालन अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल कर, इन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर (पूर्व पदस्थ स्थान में यथावत) पदस्थ करता है।

3/ श्री एस.एल.यादव, प्रभारी कार्यपालन अभियंता के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच जारी रहेगी एवं जांच के अंतिम निराकरण के उपरांत निलंबन अधिक के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(राजीव अहिरे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 22/06/2018



क्रमांक एफ 03-05/31/स्था./2018

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. सचिव, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग,
- ✓ 3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर,
4. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर/महानदी गोदावरी कछार, रायपुर,
5. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मण्डल, रामपुर/कोरबा/इन्द्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर,
6. कार्यपालन अभियंता
7. संबंधित अधिकारी श्री एस.एल.यादव, प्रभारी कार्यपालन अभियंता,
द्वारा:- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर,
आदेश फॉल्डर।
8. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3319

F25/6



22/06/2018

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन